भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **534** जिसका उत्तर

गुरूवार, **4 फरवरी**, 2021/15 माघ, 1942 (शक) को दिया जाना है

पत्तन न्यास भूमि का गैर-कानूनी अतिक्रमण

†534. श्री रामदास तडस:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई पत्तन न्यास के तटीय प्रचालन क्षेत्र और एमबीटीपी सड़क का गैर-कानूनी अतिक्रमण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भूमि के गैर-कानूनी अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए क्या पहल की जा रही है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) एस्टेट में सड़कों के कुछ भागों/खंडों पर अतिक्रमण किया गया है और कुछ हटमैंट/अतिक्रमण दशकों से मौजूद हैं।

(ख) ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए एमबीपीटी आवधिक रूप से कार्यक्रम चलाता है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, लगभग 1,09,874 वर्ग मीटर एमबीपीटी भू-क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।

*****